



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत एवं मध्य प्रदेश में महिला शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

DIRECTOR RESEARCHER

DR. AMIR AIJAZ

SUNIL KUMAR AHIRWAR

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

ROLL NUMBER-23113251

AMAR SHAHID CHANDRASHEKHAR AZAD

ENROL. NUMBER-23U002P0012

GOVT. POSTGRADUATE COLLEGE, NIWARI

DISTRICT NIWARI (M.P.)

प्रस्तावना- भारत में वर्तमान में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। देश वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर (66.46%) देश की कुल साक्षरता दर (74.04%) से भी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में। महिला शिक्षा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है। वर्तमान में महिला शिक्षा ग्रामीण स्तर पर कम साक्षरता है जबकि नगरी स्तर पर महिला साक्षरता ठीक है।

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास- भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धान्त के अनुसार महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई उदाहरण के लिये शिक्षा की देवी सरस्वती। वैदिक साहित्य में उन महिलाओं को भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना जैसे आपाला, घोषा, गार्गी आदि। मध्यकालीन भारत में महिला शिक्षक की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में थी, रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह अपने चरम पर था ब्रिटिश भारत काल में पहला ऑन-गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। वर्ष 1948 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयीं इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के समानांतर पहुँचाया जाये। वर्ष 1959 में गठित एक समिति ने लड़कों एवं लड़कियों के लिये एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता – प्रतिशत है।

महिला शिक्षा हेतु भारत सरकार के प्रयास -

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना** – इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिये की गयी थी। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गये थे।
- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना**- इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गयी थी जिसका उद्देश्य देशभर में 750 आवासीय स्कूल खोलने के प्रावधान था वर्तमान में विद्यालयों में Sc, St, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिये 75 % सीटें आरक्षित हैं बाकी 25 % सीटें गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिये हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिये अब कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में अब 12 वी तक पढ़ाई होती है।
- **महिला समाख्या कार्यक्रम**- इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गयी थी।
- **सीबीएससी उड़ान योजना**- यह योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को स्कूल से तकनीकी शिक्षा एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तक के सफर को आसान एवं सरल बनाना है इसमें बालिकाओं को मार्गदर्शन के साथ आर्थिक मदद भी दी जाती है इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये निःशुल्क आनलाईन पढ़ाई वीडियो आदि सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
- **प्रगति छात्रवृत्ति योजना** – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक योजना है इस योजना में केवल बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करना है और उनके ज्ञान कौशल को बढ़ाना है।
- **सबला योजना**- इस योजना को राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना भी कहा जाता है इस योजना का आरम्भ वर्ष 2010 में किया गया था सबला योजना के अंतर्गत किशोरियों को सक्षम बनाना आत्मविश्वास जागृत करना उन्हें आयरन पोषण, स्वास्थ्य जाँच, परिवार कल्याण आदि विषय के प्रति जागरूक करना है इसमें 11 से 18 वर्ष की जो बालिका विद्यालय नहीं जा सकती हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से जागरूक किया जाता है।

महिला शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास-

- **मुख्यमंत्री गाँव की बेटी योजना**- इस योजना को मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता हेतु प्रारम्भ की गयी थी।
- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना**- यह योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2006 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई गयी थी इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 रुपये व कक्षा 11 वी में प्रवेश लेने पर छात्राओं को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना**- इस योजना में मध्यप्रदेश शासन द्वारा उन सभी बालिकाओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है जो बालिकाएं अपने स्कूल में कक्षा 12 वी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगी प्रदेश भर के सभी स्कूलों से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी प्रदान की जाती है।

सारांश- महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराईयों जैसे – दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक-से-अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है एवं महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है। लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें उनके घरों की सीमाओं तक सीमित कर दिया जाता है। किसी महिला या बालिका को शिक्षित करना ऐसे समाजों में एक गैर-लाभकारी उपक्रम माना जाता है, कई ग्रामीण समाजों को एक दायित्व माना जाता है, जिसे अंततः शादी के बाद दूसरे परिवार में स्थानांतरित करना पड़ता है। लिंग भेदभाव कुछ उद्योगों में महिलाओं को समान साख वाले पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिये उनकी दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है महिलाओं को पदोन्नति के लिये या जिम्मेदारियाँ निभाने के लिये मौटे तौर पर कम आंका जाता है इस तरह का लैंगिक भेदभाव महिलाओं को शिक्षित होने और उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में हिंसा और खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ कई अपराध अभी भी प्रचलित हैं, जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, देह व्यापार, यौन उत्पीड़न आदि। ऐसे अपराध केवल महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और स्कूलों या यहाँ तक कि कार्यालयों में प्रवेश करने के लिये प्रतिबंधित करते हैं। भारत में महिला शिक्षा के लाभों में महिलाओं को शिक्षित करना भारतीय समाज की कई सामाजिक बुराईयों को दूर करने की कुंजी हो सकती है – दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि। एक शिक्षित महिला भावी पीढ़ियों को बदल देती है। महिलाओं को शिक्षित करने से निश्चित रूप से राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल होंगी। एक शिक्षित महिला अपने परिवार और रिश्तेदारों की जरूरतों के लिये वित्तीय योगदान देगी दो कमाने वाले माता-पिता बच्चों के साथ-साथ परिवार के जीवन स्तर के लिये बेहतर विकास की संभावनाएं प्रदान करते हैं। शिक्षित महिलाओं वाला परिवार एक अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त करता है और दूसरों की तुलना में अधिक सम्मानित होता है एक शिक्षित महिला समाज में उचित रूप से परिवार की प्रशंसा करती है और उसे गौरवान्वित करती है। एक शिक्षित महिला अपने परिवार के लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरों को पहचानती है और उनसे निपटना जानती है वह अपने बच्चों को अच्छे और बुरे में बताना, उन्हें खिलाना जानती है।

विधि तंत्र- द्वितीयक स्रोतों जैसे पूर्व के रिसर्च पेपर व किताबों के द्वारा एवं साक्षात्कार के माध्यम से अवलोकन विधि द्वारा गूगल व इंटरनेट के माध्यम से जानकारी व आंकड़े एकत्रित किये गये हैं।

निष्कर्ष- भारत देश में महिला शिक्षा का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46 प्रतिशत है महिला शिक्षित होती है तो हमारे देश एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करता है एवं आर्थिक विकास और भारत देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है महिलाओं की शिक्षा अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है जो हमारे भारत देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाने में मदद करेगा।

संदर्भ सूची-

1. <https://wcd.nic.in/hi> DATE 15.01.2024
2. <https://main.mohfw.gov.in/hi> DATE 15.01.2024
3. <https://www.education.gov.in> DATE 15.01.2024
4. <https://scholarshipportal.mp.nic.in/Public/OtherSchemes/GB> DATE 15.01.2024
5. सी.आर.कोठारी (शोध पद्धति) 2023